

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/ भूकर/11/2/12/1996/

दिनांक:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
उदयपुर ।

विषय:- तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर का एक ग्राम खास डूंगरपुर में बन्द
की अधिसूचना ।

प्रसंग:- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.
13(15)राज-1/2011 दिनांक 06.4.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर का
एक ग्राम खास डूंगरपुर की राज्य सरकार द्वारा जारी बन्द की अधिसूचना धारा 106, 107 एवं
108 की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि तहसील के उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15
दिवस में राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवाई जावे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ १६६
प्रतिलिपि:-

✓ 1- प्रोग्रामर, भू-प्रबन्ध विभाग, राज0, जयपुर को बन्द की अधिसूचना धारा 106, 107 एवं 108 की
छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

हू०
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 10.4.18

11/7/18
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(15)राज.-1/2011

जयपुर, दिनांक 6-4-18

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(25)राज. /ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 के द्वारा प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु अधिसूचना क्रमांक प0 13(25)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 से भू-प्रबन्ध अधिकारी, डूंगरपुर (उदयपुर) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से अधिसूचना क्रमांक प0 13(25)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 18.01.2002 (71 ग्राम) एवं दिनांक 18.12.2002 (30 ग्राम) तथा अधिसूचना क्रमांक प0 13(15)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 27.12.2011 से 113 ग्राम एवं दिनांक 23.06.2015 से 73 ग्राम एवं दिनांक 05.04.2016 से 19 ग्राम, दिनांक 17.06.2016 से 4 ग्राम दिनांक 16.10.2017 से 08 ग्रामों को बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष 01 ग्राम डूंगरपुर खास के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से ग्राम डूंगरपुर खास का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३०

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/14/2/12/1996/719 दिनांक 14.03.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RM201
31/4/18

1 m.
A
16/04

R.R.
B
6-4-18

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(15)राज.-1/2011

जयपुर, दिनांक 6-4-18

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(25)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 से प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु अधिसूचना क्रमांक प. 13(25)राज/ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी डूंगरपुर (उदयपुर) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से अधिसूचना क्रमांक प0 13(25)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 18.01.2002 से (71 ग्राम) एवं दिनांक 18.12.2002 से (30 ग्राम), अधिसूचना क्रमांक प0 13(15)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 27.12.2011 से 113 ग्राम, दिनांक 23.06.2015 से 73 ग्राम, दिनांक 05.04.2016 से 19 ग्राम, दिनांक 17.06.2016 से 4 ग्राम, दिनांक 16.10.2017 से 08 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं। शेष 01 ग्राम डूंगरपुर खास के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण अभिलेखन कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

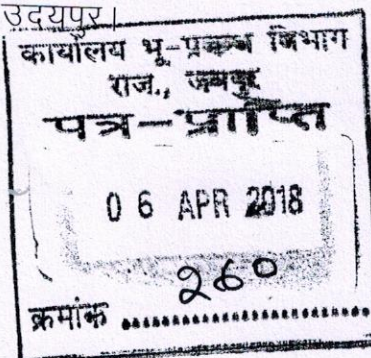
३०

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/14/2/12/1996/719 दिनांक 14.03.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

RR/203
9/4/18